न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 75/2023 निर्णय दिनांक 26.08.2025

जीसीएमएस नम्बर 2023/160

ओमप्रकाश पुत्र भोमाराम जाति जाट निवासी ग्राम बींझासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादी—

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. स्व. अन्नी पत्नी भोमाराम
3. ईमरताराम
4. दुर्गाराम
5. पूर्णाराम

(3 से 5) पुत्रगण भोमाराम — (2 से 5) जति जाट निवासी ग्राम बींझासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री राजाराम नैण अभिभाषक वादी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।
3. श्री राजूराम बाना अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 3 ता 5।

दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व धारा 136 एलआर एक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी दावा प्रस्तुत कर निम्न प्रकार से निवेदन करता है कि वादी के पिता भोमाराम की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 446 तादादी 40 बीघा व खसरा नम्बर 633 तादादी 34 बीघा 15 बिस्वा वाकेरोही बींझासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित रहा है। प्रार्थी के पिता भोमाराम की मृत्यु हो चुकी है जिनके जायज वारिसानों में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 5 हुए है। वादी के पिता भोमाराम की मृत्युपरांत उनके वारिसान के नाम बहिस्सा बराबर 1/5, 1/5 हिस्सा की खातेदारी दर्ज हो गई। कालान्तर में खसरा नम्बर 579/278 के नये खसरा नम्बर 446 तादादी 10.1200 हैक्टेयर व इन्तकाल संख्या 724 के जरिये अलोटित खसरा नम्बर 325/267/1 के नये खसरा नम्बर 446 व तदुपरान्त नये खसरा नम्बर 633 तादादी 8.7900 हैक्टेयर कायम हो गये। उपरोक्त खसरान भूमि की खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के नाम भोमाराम की मृत्यु के बाद जरिये विरास्तन इन्तकाल संख्या 429 व 724 के जरिये दर्ज हुई है। विरास्तन इन्तकाल दर्ज करते समय वादी का बोलता नाम जैसाराम दर्ज कर दिया गया जबकि वादी का सही व दस्तावेजी नाम ओमप्रकाश पुत्र भोमाराम है। वादी अनपढ व ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है जिसे अपने घर, परिवार, समाज व गांव में ओमप्रकाश के नाम से जाना व पूकारा जाता है व भोमाराम की मृत्युपंरात विरास्तन इन्तकाल संख्या 429 व अलोटित इन्तकाल संख्या 724 दर्ज करते समय वादी का बोलता नाम जैसाराम दर्ज कर दिया गया, जबकि वादी के तमाम सरकारी दस्तावेज राशन कार्ड, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि में वादी का नाम ओमप्रकाश पुत्र भोमाराम जाति जाट निवासी बींझासर अंकित चला आ रहा है। यानि वादी का सही व वास्तविक व रिकार्ड अनुसार नाम ओमप्रकाश है। वादी को जब उपरोक्त खसरा की भूमि पर के. सी. सी. बनाने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया व इन्तकाल, जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल आदि की नकले दिनांक 17.04.2023 को निकलवाई तो वादी को जानकारी हुई कि वादी के पैतृक खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 446 तादादी 10.1200 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 633 तादादी 8.7900

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2025.09.09 17:31:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

हैक्टेयर वाकेरोही बींझासर के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत रूप से जैसाराम अंकित कर रखा है। जबकि वादी का सही व वास्तविक व प्रशासनिक नाम शुरू से ही ओमप्रकाश रहा है जिसको वादी राजस्व रिकार्ड में घोषित करवाकर शुद्धि करवाने का अधिकारी है। वादी का शुरू से ही नाम ओमप्रकाश चला आ रहा है। केवल राजस्व रिकार्ड जैसाराम अंकित हो गया है। वादी के अन्य तमाम दस्तावेजों में ओमप्रकाश अंकित है। उपरोक्त सभी दस्तावेजातों की प्रमाणित प्रतियां अवलोकनार्थ श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। गांव बींझासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में जैसाराम पुत्र भोमाराम जाति जाट के नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। वर्णित खसरान भूमि में 1/5 हिस्सा भूमि पर वादी का ही कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है इसलिए वादी उपरोक्त खसरान की भूमि में अपना सही नाम ओमप्रकाश अंकित करवाने का कानूनन अधिकारी है। उपरोक्त खसरान भूमि में वादी का गलत नाम जैसाराम अंकित होने के कारण वादी को उपरोक्त खसरान भूमि पर के. सी. सी. बनाने, ट्यूब बनाने व अन्य कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है व वादी अपनी पैतृक खातेदारी से ही वंचित हो रहा है। वादगत खेतों में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित कर दिया गया है, इस बाबत वादी ने दिनांक 14.04.2023 को प्रतिवादी सं. 1 से निवेदन किया कि मेरा नाम ओमप्रकाश है जबकि वादगत खसरान भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के तौर पर मेरा नाम जैसाराम अंकित कर दिया गया है जबकि मेरे अन्य तमाम दस्तावेजात मेरा सही नाम ओमप्रकाश अंकित चला आ रहा है उस हिसाब से दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में घोषित कर देवें तो प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को कहा कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ, बिना आदेश के राजस्व रिकार्ड में आपका नाम रिकार्ड में शुद्धिकरण करना संभव नहीं है, इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के नाम की शुद्धिकरण कर राजस्व रिकार्ड में घोषित करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। ऐसी स्थिति में वादी के पास रिकार्ड दुरूस्ती हेतु व अपने सही नाम की घोषणा हेतु यह घोषणात्मक दावा श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। खेत खसरा नम्बर 446 तादादी 10.1200 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 633 तादादी 8.7900 हैक्टेयर वाकेरोही बींझासर में वादी का नाम जैसाराम गलत अंकित चला आ रहा है जिसकी दुरूस्ती करवाने का वादी अधिकारी है परन्तु प्रतिवादी सं. 1 ने उक्त शुद्धि करने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया। इन्कारी की दिनांक से वादी को वाद हेतु हासिल है व वादाधिकार वादी की पैतृक खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि होने से प्राप्त है। दावा घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती का है। दावा में स्टेट आवश्यक पक्षकार है स्टेट को पक्षकार बनाये जाने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है। दावा आवश्यक प्रकृति का है, अगर स्टेट को दो माह का नोटिस देकर दावा प्रस्तुत किया गया तो वादी को भारी क्षति होगी । यानि वादगत खेत में वादी का नाम गलत अंकित होने से वादी को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए तुरन्त दावा पेश कर शुद्धिकरण करवाया जाना आवश्यक हो गया है। स्टेट के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने हेतु अलग से धारा 80 (2) सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय से छूट प्राप्त कर ली गई है। वादगत खसरान भूमि के सहखातेदार गौण प्रतिवादी संख्या 2 से 5 उपरोक्त खसरान भूमि के रिकार्डेड सहखातेदार होने के कारण फोरमल पक्षकार बनाया गया है जिनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। वादगत खेत रोही मौजा बींझासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है इसलिए दावा सुनने का श्रीमान्जी को क्षेत्राधिकार हासिल है तथा दावा हर प्रकार से समयावधि के भीतर पूर्ण कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है । अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादी का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेः—

(क) कि प्रतिवादी संख्या 1 को यह आदेशित किया जावे कि वो वादगत खेत खेत खसरा नम्बर 446 तादादी 10.1200 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 633 तादादी 8.7900 हैक्टेयर वाकेरोही बींझासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में जैसाराम पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2025.09.09 17:31:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

भोमाराम अंकित कर रखा है उसके स्थान पर उसका सही नाम ओमप्रकाश पुत्र भोमाराम घोषणा किया जावे व उसकी पालना प्रतिवादी संख्या 1 से करवाई जावे।

(ख) कि वादगत खेत खसरा नम्बर 446 तादादी 10.1200 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 633 तादादी 8.7900 हैक्टेयर वाकेरोही बींझासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में चले आ रहे गलत नाम जैसाराम की जगह ओमप्रकाश अंकित किया जाकर दुरूस्ति किए जाने का आदेश प्रतिवादी संख्या 1 के नाम जारी किया जावे।

(ग) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो अथवा दौराने दावा हितकर वादी हो जावे वह भी आज्ञप्त फरमाया जावे।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी का पेश किया गया। जिस पर प्रतिवादीगण अधिवक्ता 3 ता 5 द्वारा अपनी सहमति प्रदान किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 02 के नाम के आगे स्वर्गीय शब्द अंकित किये जाने का आदेश दिया गया। स्टेट की ओर से जवाबदावा पेश किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 के अधिवक्ता द्वारा स्टेट की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा अनुसार दावा स्वीकार किया गया। वाद में विवाद्यक बिन्दु नहीं होने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी की ओर से साक्ष्यवादी में ओमप्रकाश का शपथ पत्र वास्ते साक्ष्यवादी हेतु पेश किया गया। वादी के बयान लेखबद्ध किये गये। जिरह प्रतिवादी शून्य। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। सेक्षंप में प्रतिवादीगण को वादी वाद स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खेत खसरा नम्बर 446 तादादी 10.1200 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 633 तादादी 8.7900 हैक्टेयर वाकेरोही बींझासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम जैसाराम पुत्र भोमाराम अंकित कर रखा है उसके स्थान पर उसका शुद्ध नाम ओमप्रकाश पुत्र भोमाराम की घोषणा की जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। शेष प्रविष्टि यथावत रहेगी। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2025.09.09 17:31:50 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ
पीठासीन अधिकारी शुभम शर्मा आरएएस

उनवान
ओमप्रकाश पुत्र भोमाराम जाति जाट निवासी ग्राम बींझासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
बनाम
1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. स्व. अन्नी पत्नी भोमाराम
3. ईमरताराम
4. दुर्गाराम
5. पूर्णाराम

पुत्रगण भोमाराम | जति जाट निवासी ग्राम बींझासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

मुकदमा नम्बर 75/2023
दावा बाबत घोषणात्क, रिकार्ड दुरूस्ती
निर्णय दिनांकः 26.08.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री राजाराम नैण अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 की ओर से अधिवक्ता राजूराम बाना व स्टेट की ओर से पैरोकारराज मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खेत खसरा नम्बर 446 तादादी 10.1200 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 633 तादादी 8.7900 हैक्टेयर वाकेरोही बींझासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम जैसाराम पुत्र भोमाराम अंकित कर रखा है उसके स्थान पर उसका शुद्ध नाम ओमप्रकाश पुत्र भोमाराम की घोषणा की जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। शेष प्रविष्टि यथावत रहेगी। तहसीलदार, श्री डूँगरगढ तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 26 माह 08 सन् 2025 को जारी किया गया ।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

वाद के खर्चे -

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		0
योग	0	योग	0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2025.09.09 17:31:50 IST
Reason: SelfAttested